

प्रपत्र-६

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पलमरा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खड्गामणिया
व भूअ.नि. पलमरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गिलुड / नायब
तहसीलदार गिलुड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खड्गामणिया तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2017 में खाता संख्या 228, 334 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१	<u>खड्गामणिया</u>	<u>228</u>	<u>जगदीश - जाति-सालवी</u>	<u>जगदीश जाति-सालवी</u>
२	<u>—</u>	<u>334</u>	<u>जगदीश जाति-सालवी</u>	<u>जगदीश जाति-सालवी</u>


उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 11/10/25

क्रमांक:- 355

प्रतिलिपि :-

३. तहसीलदार गिलुड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में

अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

2. प्रार्थी श्री जगदीश सालवी को सूचनाथ।

3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,